न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 16 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. झुंझारदान पुत्र करणीदान
2. प्रेमदान पुत्र करणीदान
3. महेन्द्रदान पुत्र करणीदान
4. श्रीमती धाईदेवी पत्नी करणीदान
5. रामुदान पुत्र वीरदान
6. शेणीदान पुत्र वीरदान कौम चारण निवासी झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
7. हरीराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर हाल झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
8. श्रीमती नखतकंवर पत्नी हेतुदान
9. आवड़दान पुत्र दानदान जाति चारण निवासी झांपली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
10. चंदनदान पुत्र कवदान
11. कैलाशदान पुत्र कवदान
12. गुलाबदान पुत्र कवदान
13. श्रीमती नेनूदेवी पत्नी कवदान जातियान चारण निवासीयान झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर (अपीलांट संख्या 2 व 3 नाबलिग की कुदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 04 धाईदेवी पत्नी करणीदान)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.श्रीमती नोजीदेवी पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी बलदेवनगर बाड़मेर हाल निवासी झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

2.मंगलाराम पुत्र सोनाराम

3.उदाराम पुत्र सोनाराम

4.बागाराम पुत्र सोनाराम

5.मानाराम पुत्र सोनाराम जातियान जाट निवासीयान झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

6.निम्बाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

7.गणपतलाल पुत्र भीखचन्द का.मु.

7 / 1बादामी देवी पत्नी गणपतलाल

7 / 2राजेन्द्रकुमार पुत्र गणपतलाल

7 / 3अजयकुमार पुत्र गणपतलाल

7 / 4धर्मेन्द्रकुमार पुत्र गणपतलाल जाति महाजन निवासी झांफली कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

8.रावतदान पुत्र चुतरदान

9.करणीदान पुत्र अमरदान

10.रामदान पुत्र अमरदान

11.सुमेरदान पुत्र अमरदान

12.मदनदान पुत्र अमरदान

13.श्रीमती सिरेकंवर पत्नी अमरदान

14.सवाईदान पुत्र स्वरूपदान का.मु.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

14/1श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी
सवाईदान
14/2माधुदान पुत्र सवाईदान जाति
चारण निवासी झांफली कला
तहसील शिव जिला बाड़मेर
15.श्रीमती खेतुदेवी पत्नी भानाराम
16.रेखाराम पुत्र उदाराम
17.राऊराम पुत्र उदाराम
18.मगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट
निवासी नांद तहसील व जिला
बाड़मेर हाल झांफली कला तहसील
शिव जिला बाड़मेर(उतरदाता संख्या
14/2 नाबालिग की कुदरती वलिया
माता 14/1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी
सवाईराम)
19.शाखा प्रबन्धक, बी.ओबी.शाखा शिव
20.शाखा प्रबन्धक,एस.बी.आई.बैक शाखा
शिव
21.राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार
शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2018 बअनवान नोजीदेवी बनाम झुंझारदान वगैरा. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 16.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नोजीदेवी ने अपने खेत खसरा संख्या 137 रकबा 93.10 बीघा मौजा झांफली कला तहसील शिव की भूमि पर अपने सेढा पाड़ोसी खसरा संख्या 249/143 रकबा 76.14 बीघा, खसरा संख्या 143 रकबा 45.14 बीघा, खसरा संख्या 250/143 रकबा 30 बीघा, खसरा संख्या 258/158 रकबा 05.13 बीघा, खसरा संख्या 257/158 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 360/149 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 251/144 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 144 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 146 रकबा 72.00 बीघा तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 148 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 148, 375/148, 378/148, 374/148 कुल रकबा 56.18 बीघा ग्राम झांफली कला के नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल वाला भू–भाग नया रास्ता खुलवाने हेतु मांगा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। माह मार्च 2020 से 08.06.2020 तक कोराना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण भी अपीलांटगण को आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अर्सा 05–07 दिन पूर्व जब आलोच्य आदेश की आड़ में उतरदातागण , अपीलांटगण की खातेदारी के खेत में जबरदस्ती रास्ता निकालने का प्रयास करने लगे तब अपीलांटगण द्वारा आलोच्य आदेश की दिनांक 16.06.2020 को नकले मांगी जो तैयार होकर दिनांक 16.06.2020 को ही प्राप्त हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाना स्पष्ट है। मौका फर्द दिनांक 11.07.2019 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी/रेस्पोडेंटगण के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कोई नजदीक विकल्प नहीं है। इस रिपोर्ट से अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से **न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है।** अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2018 बअनवान नोजीदेवी बनाम झुंझारदान वगैरा. में पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

16/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/9/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner